महाराणा प्रताप महाविद्यालय

स्मृति–पत्र

1. **संस्था का नाम** : महाराणा प्रताप महाविद्यालय।
2. **संस्था का पता** : महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर।
3. **संस्था का उद्देश्य** :

(क) कला, विज्ञान, वाणिज्य शिक्षा, विधि, कृषि संकायो सहित शरीरिक शिक्षा तथा फार्मेसी आदे रोजगार परक अन्य विषयों की समन्वित एवं समग्र शिक्षा देना।

(ख) विशिष्ट प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्य के लिये सुविधा प्रदान करना।

(ग) प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय का निर्माण एवं रख रखाव करना।

(घ) मातृभूमि की सेवायें के लिये ईमानदार एवं सुयोग्य नागरिकों को तैयार करना।

(ड) महाविद्यालय के हित में व्यक्तियों तथा संस्थाओं से चल–अचल सम्पति अर्जित करना भेंट, उपहार या अनुदान आदि प्राप्त करना।

(च) महाविद्यालय के विकास के लिये अन्स सभी सम्भव साधनो एवं उपायों से घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करना।

प्राचार्य
महाराणा प्रताप महाविद्यालय
जंगल धूसड़, गोरखपुर

1. संस्था का नाम : महाराणा प्रताप महाविद्यालय

2. संस्था का पूरा पता : महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जं0 धूसड़, गोरखपुर होगा।

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष

4. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग:– अधोलिखित विवरण के अनुसार संस्था के सदस्यों के कुल चार वर्ग होंगे।

(क) आजीवन सदस्य– जो व्यक्ति संस्था को अचल सम्पत्ति या नगद मुबलिक 500/- रू0 नि:स्वार्थ भाव से दान स्वरूप देंगे वे समिति की स्वीकृति पर संस्था के आजीवन सदस्य समझे जायेंगे।

(ख.) विशिष्ट सदस्य– संस्था के लिये उपयोगी, प्रभावशाली ऐसे कर्मठ व्यक्ति जिन्हें समिति नामित करेगी संस्था के विशिष्ट सदस्य समझे जायेंगे।

(ग) सामान्य सदस्य– जो व्यक्ति नि:स्वार्थ भाव से संस्था को प्रतिवर्ष 50/- रू0 नि:स्वार्थ भाव से देगा समिति की स्वीकृति पर वह संस्था का सामान्य सदस्य समझा जायेगा।

(घ) प्रोत्साहक सदस्य– ऐसे प्रमुख समाज सेवी जो संस्था के हितार्थ सर्वदा प्रेरणा व मार्गदर्शन दे सकते हैं उन्हें समिति की स्वीकृति होने पर रू0 11/- मात्र शुल्क लेकर प्रोत्साहक सदस्य बनाया जायेगा।

5. सदस्यता की समाप्ति:– अधोलिखित स्थितियों में समिति के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जायेगी यदि–

(क) सदस्य का स्वर्गवास हो जाता है।

(ख) वह पागल, दिवालिया, शारीरिक दृष्टि से असमर्थ हो जाता है।

(ग) वह न्यायालय द्वारा दण्डित हो जाता है।

(घ) वह सदस्यता शुल्क जमा नहीं करता है।

(ड) त्याग–पत्र दे देता है और वह स्वीकृत होता है।

(च) वह प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा 2/3 बहुमत से निकाल दिया जाता है।

6. संस्था के अंग:– संस्था के अधोलिखित दो अंग होंगे–

(1) साधारण सभा।

(2) प्रबन्धकारिणी समिति।

प्राचार्य
महाराणा प्रताप ...
जंगल धूसड़ ...

2/-

1. साधारण सभाः–

(क) गठनः– संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

(ख) बैठकः– साधारण सभा की बैठक साल में एक बार होगी। आकस्मिक बैठक 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कभी भी बुलायी जा सकती है।

(ग) सूचना अवधिः– साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पहले सभी पदाधिकारियों/सदस्यों को दी जायेगी। विशेष बैठक की सूचना समयानुसार 7 दिन पूर्व सभी लोगों को दी जायेगी।

(घ) गणपूर्तिः– साधारण सभा की गणपूर्ति 2/3 सदस्यों की उपस्थिति पर होगी जिससे सभा का कोरम पूरा माना जायेगी।

(ड) साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्यः–

(1) प्रवन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।
(2) आगामी आय–व्यय का बजट पास करना।
(3) गत वर्ष के आय–व्यय की स्वीकृति देना।
(4) संस्था की नियमावली में कोई भी संशोधन 2/3 बहुमत से पास करना।
(5) आय–व्यय का निरीक्षक नियुक्त करना।
(6) साधारण–सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होगा।

2. प्रबन्धकारिणी समितिः–

(क) गठन– साधारण सभा द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन किया जायेगा

(ख) बैठक– प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक वर्ष में 2 बार होगी। विशेष आवश्यकतानुसार बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है।

(ग) सूचना अवधिः– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व सभी पदाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से हाथो हाथ या फिर यू0पी0सी0/पंजीकृत डाक से पदाधिकारियों को दी जायेगी।

(घ) गणपूर्तिः– प्रबन्धकारिणी समिति की 2/3 सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति मानी जायेगी। लेकिन कोरम के अभाव में 1/2 सदस्यों पर भी सभा सम्पन्न मानी जायेगी।

(घ) रिक्त स्थानो की पूर्तिः– प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा द्वारा बहुमत के आधार पर की जायेगी।

प्राचार्य
महाराणा प्रताप महाविद्यालय
जंगल धूसड़, गोरखपुर

.... 3/–

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर

7. **प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्यः—**

(1) वार्षिक रिपोर्ट एवं बजट तैयार करना एवं पास करना।
(2) संशोधन प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास करना।
(3) संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।
(4) कर्मचारियों का चयन एवं आवश्यकतानुसार उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना।
(5) आडीटर की नियुक्ति करना।
(6) संस्था के हित के लिए सदस्यों को बाहर भेजना एवं बाहर से बुलाना।

7. प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकालः— प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा।

8. **प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यः—**

1. **अध्यक्षः—** संस्था/साधारण सभा का अध्यक्ष ही प्रबन्धकारिणी समिति का भी अध्यक्ष होगा।

अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्यः—

(1) संस्था के बैठको का सभापतित्व करना।
(2) बैठको मे समान मत आने पर निर्णायक मत देना।
(3) समिति की बैठक के लिए दिन एवं स्थान निश्चित करना तथा बैठक स्थगित करना इसके साथ ही साथ संस्था के हित के अन्य कार्य करना।
(4) अध्यक्ष सम्पूर्ण सोसाइटी को सुचारू रूप से चालने का जिम्मेदार होगा तथा समय—समय पर सोसाइटी के हर सदस्य/पदाधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण करेगा ताकि सोसाइटी सही रूप से चल सके।
(5) सोसाइटी के विरूद्ध होने वाले सभी मुकदमों की पैरवी करना/कराना।
(7) सोसाइटी की ओर से समस्त कागजात, महत्वपूर्ण बिलों एवं भारत सरकार/राज्य सरकार में अनुदान हेतु प्रस्तावों को भेजना एवं उस पर हस्ताक्षर करना।
(8) अध्यक्ष विशेषाधिकार का भी प्रयोग कर सकता है।

2. **उपाध्यक्षः—** अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उसके सभी अधिकार का प्रयोग करना।

3. **मंत्रीः—**

(1) प्रत्येक बैठक की अध्यक्ष के निर्देशानुसार व्यवस्था एवं कार्यवाही करना।
(2) रसीद एवं वहियों का निरीक्षण एवं रख—रखाव करना।
(3) संस्था की सभी बैठकों की कार्यवाही को लिखना एवं अध्यक्ष से प्रमाणित कराना।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

प्राचार्य
महाराणा प्रताप महाविद्यालय
जंगल धूसड़, गोरखपुर

8

(4) सहमंत्री:– मंत्री की अनुपस्थिति में सहमंत्री उसके सभी अधिकारों व कर्तव्यों का निर्वहन करना।

(5) कोषाध्यक्ष:–
(1) आय–व्यय का लेखा जोखा तैयार करना।
(2) अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बिलों के भुगतान की व्यवस्था करना।
(3) अध्यक्ष के आदेशानुसार समस्त धन किसी क्षेत्रीय बैंक, राष्ट्रीकृत बैंक या पोस्ट आफिस में जमा करना।

9. **संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया:–**
संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के सभी सदस्यों के 2/3 बहुमत पर किया जायेगा।

10. **संस्था का कोष:–** संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीकृत बैंक या पोस्ट आफिस अथवा किसी क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त बैंक में संस्था के नाम खाता खोलकर उसमें जमा किया जायेगा। जिसका संचालन अध्यक्ष के हस्ताक्षर द्वारा होगा। बैंक की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने का अधिकार अध्यक्ष को ही होगा।

11. **संस्था के आय–व्यय के लेखा परीक्षक (आडीटर):–**
संस्था के आय–व्यय का आडिट साधारण सभा द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त आडिटर से कराया जायेगा।

12. संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था द्वारा उसके विरूद्ध होने वाले मुकदमों की पैरवी अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

13. **संस्था के अभिलेख:–**
(1) सदस्यता रजिस्टर।
(2) सूचना रजिस्टर।
(3) कार्यवाही रजिस्टर।
(4) आय–व्यय पंजिका।
(5) कैश बुक आदि।

14. संस्था के विघटन और विवादित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधि0 की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

15. संस्था की अपनी एक सील (मुहर) होगी जिसका सभी पत्रों/अभिलेखों में प्रयोग किया जायेगा।

दिनांक .... हस्ताक्षर ....

सत्य प्रतिलिपि

16/10/04

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटी तथा चिट्स
गोरखपुर

16/10/04

प्राचार्य
महाराणा प्रताप महाविद्यालय
जंगल धूसड़, गोरखपुर

महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों एवं संस्थाओं के नाम, पते तथा व्यवसाय जिन पर नियमों–परिनियमों के अनुसार सम्बन्धित प्रबन्धन का उत्तरदायित्व है।

क्र0सं0	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज शिष्य– ब्रह्मलीन श्री महन्त दिग्विजयनाथ जी	श्री गोरक्षनाथ मन्दिर, गोरखपुर।	अध्यक्ष	धर्माचार्य
2.	प्रो0 यू0पी0 सिंह पुत्र– श्री रामनरेश सिंह	राजेन्द्रनगर, गोरखपुर।	उपाध्यक्ष	पूर्व कुलपति
3.	श्री योगी आदित्यनाथ जी शिष्य– श्री महन्त अवेद्यनाथ जी	श्री गोरक्षनाथ मन्दिर, गोरखपुर।	सचिव/प्रबन्धक	धर्माचार्य
4.	श्री प्रमोद चौधरी पुत्र– चौधरी रामलखन चन्द	पहाड़पुर–गोरखपुर।	सदस्य	कृषि
5.	श्री धर्मेन्द्रनाथ वर्मा पुत्र– श्री लक्ष्मी शंकर वर्मा	बेतियाहाता–गोरखपुर।	सदस्य	एडवोकेट
6.	श्री पारसनाथ मिश्रा पुत्र– श्री लल्लन मिश्रा	बिलन्दपुर–गोरखपुर।	सदस्य	एडवोकेट
7.	श्री प्यारे मोहन सरकार पुत्र– श्री गुरू प्रसाद सरकार	दुर्गाबाड़ी–गोरखपुर।	सदस्य	एडवोकेट
8.	श्री गोरक्ष प्रताप सिंह पुत्र– श्री बलदाऊ जी	नथमलपुर–गोरखपुर।	सदस्य	कृषि
9.	योगी कमलनाथ शिष्य– ब्रह्मलीन बाबा नौमीनाथ	श्री गोरक्षनाथ मन्दिर, गोरखपुर।	सदस्य	धर्माचार्य
10.	कुं0 नरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र– श्री बृजराज सिंह	गोलघर–गोरखपुर।	सदस्य	शिक्षक
11.	श्री रामजन्म सिंह श्री भृगुनाथ सिंह	एम0पी0 कालेज, गोरखपुर।	सदस्य	शिक्षक

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता गण उपर्युक्त नाम से एक संस्था बानाकर उपरोक्त स्मृति–पत्र के अनुसार सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट सन् 1860 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं।

दिनांक ....

हस्ताक्षर ....

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार

प्राचार्य
महाराणा प्रताप महाविद्यालय
जंगल धूसड़, गोरखपुर